करोड़ों की धान खराब, बागरी हुई निलंबित

टर्मिनेशन की कार्यवाही की उठी मांग

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 अगस्त। पन्ना जिले की चर्चित वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की प्रबंधक वंदना बागरी बेहद लापरवाही एवं गैरजिम्मेदाराना कार्यशैली के लिये हमेशा चर्चित रही है। इसी के चलते लगभग 18 हजार मेट्रिक टन धान उनकी लापरवाही के चलते खुले में रखे होने से बोरो के अंदर ही अंकुरित हो गई, जिससे करोड़ो रूपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

फिलहाल मध्यप्रदेश शासन ने उन्हें निलंबित किया है लेकिन जिले में उनके टर्मिनेशन की मांग की जा रही है क्योंकि इतनी बेहद गंभीर लापरवाही जनहित में क्षमा योग्य नही है। हासिल जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ने पन्ना शाखा की प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक श्रीमती वंदना बागरी को धान के रख-रखाव में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लक्ष्मीपुरा कैप परिसर में रखे वर्ष 2025-26 के लगभग 17,543 मीट्रिक टन धान के निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाई गईं। परिसर में रखे ढेरों के कैप-कवर फटे हुए थे, कैप-टॉप और कैप-नेट का उपयोग नहीं किया गया था, जिससे बारिश का पानी अनाज में प्रवेश कर गया। इसके अलावा ढेरों के बीच गंदगी और साफ-सफाई का सख्त अभाव मिला, जिससे हजारों क्विंटल धान खराब होने की खबरें मीडिया में आनें लगीं और निगम की छवि धूमिल हुई।

अनुभवी तकनीकी कर्मचारी होने के बावजूद वैज्ञानिक पद्धति से अनाज का उचित रख-रखाव न करने पर निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा ने म.प्र. वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन्स एक्ट 1962 की कंडिका 23(2)(ए) के तहत यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में श्रीमती बागरी को क्षेत्रीय कार्यालय सागर से संबद्ध किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान : जनता के द्वार पहुंचे अधिकारी

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 04 अगस्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ है।

इस दूरदर्शी अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाना और आम जनता, किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। यह अभियान प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जन-उन्मुख बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हो रहा है।

साप्ताहिक रूपरेखा और समीक्षा प्रक्रिया - यह व्यापक अभियान 7 अगस्त से शुरू होकर 8 जनवरी तक निरंतर संचालित होगा। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह के पांचवें दिन, यानी शुक्रवार को अधिकारी-कर्मचारी चिन्हित ग्रामों में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। जिला कलेक्टर उषा परमार स्वयं इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगी। जिस गांव में भ्रमण तय होगा, वहां की सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा की जाएगी, जिससे कोई भी ग्रामीण न्याय और सुविधा से वंचित न रहे।

प्रशासनिक मुस्तैदी और अजयगढ़ में जनसंवाद

अभियान के प्रथम चरण में अजयगढ़ क्षेत्र के पूर्व निर्धारित गांवों भाखुरी, भदईयां, नरदहा और रमनापुरवा में अधिकारियों के एक उच्चस्तरीय दल ने सीधे ग्रामीणों से संपर्क साधा। इस दल में एसडीएम आलोक मार्को, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार महाराज सिंह, एपीओ अमित यादव और पंचायत इंस्पेक्टर योगेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने चौपाल सजाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी और मूलभूत सुविधाओं जैसे नाली निर्माण, सीसी रोड और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों का त्वरित संज्ञान लिया। कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष शिकायतों को समयसीमा में निराकरण हेतु संबंधित विभागों को सौंपा गया।

आजाक विभाग के निर्माण कार्यो में व्यापक भ्रष्टाचार, शिकायत पर की गई खानापूर्ति

नवभारत न्यूज

सलेहा, 04 अगस्त। जिले के दुर्गम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कल्दा में आदिमजाति कल्याण विभाग के छात्रावासों सहित अन्य निर्माण कार्य चल रहे है जो बेहद ही गुणवत्ताहीन एवं घटिया कराये जा रहे है जिसमें निर्माण ऐंजेंसी एवं विभाग की सांठगांठ होना बताया जा रहा है।

माध्यमिक विद्यालय गुरुजी आश्रम परिसर में नौनिहालों की पढ़ाई और छात्रावास अधीक्षक के रहने के लिए शासन ने लाखों रुपये का भारी-भरकम बजट पास किया, लेकिन जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार मिलकर इस पूरी राशि को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। आलम यह है कि जिस इमारत को आदिवासियों की तकदीर बदलनी थी, वह बनने से पहले ही जमींदोज होने की कगार पर पहुंच गई है। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो ठेकेदार के काले कारनामों की पोल खुलकर सामने आ गई। निर्माणाधीन भवन की बुनियाद में ही धांधली का सीमेंट मिलाया जा रहा है। पक्का ढांचा खड़ा करने के नाम पर स्थानीय नदी से निकाली गई मिट्टी से सनी घटिया रेत, घटिया कच्ची ईंटें और बेहद कम मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल बेधड़क किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो यह है कि अभी भवन की कुर्सी यानी प्लिंथ का काम शुरू हुए चंद दिन ही बीते हैं कि दीवारों के बीचों-बीच गहरी दरारें तैरने लगी हैं और नीचे की जमीन धंसने लगी है। इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर जब जनपद पंचायत पवई के उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने जमीनी हकीकत का जायजा लिया, तो वे भी घटिया काम देखकर दंग रह गए। उन्होंने साफलफ्जों में आरोप लगाया कि आदिवासियों के हक के पैसे पर सरेआम डकैती डाली जा रही है। शिकायत के बाद भी आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने महज निरीक्षण का औपचारिक नाटक रचा, लेकिन ठेकेदार पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अफसरों की शह पर घटिया निर्माण आज भी बदस्तूर जारी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब पूरे मामले की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच और दोषी ठेकेदार समेत भ्रष्ट तंत्र पर तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की हुंकार भरी है।

जीआरएस पर रिश्वतखोरी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप

ग्रामीणों ने सीईओ से की शिकायत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 अगस्त। जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत पुरैना के ग्राम घाट सिमरिया के ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सहायक रामरूप पटेल पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना को सामूहिक शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची सार्वजनिक नहीं की जा रही है। हितग्राही मूलक योजनाओं में नाम जोड़ने, मनरेगा में रोजगार दिलाने, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने और अन्य कार्यों के लिए पैसों की मांग की जाती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि रोजगार सहायक अधिकांश समय पंचायत कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और ग्रामीणों के फोन तक नहीं उठाते। शिकायत में पंचायत क्षेत्र में कई विकास कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता संबंधी सवाल भी उठाए गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मुक्तिधाम का निर्माण अब तक नहीं कराया गया, सीसी रोड का निर्माण दो वर्षों से अधूरा है, आंगनबाड़ी भवन सहित अन्य निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन हैं तथा कालीमाता तलैया, चेकडेम और अन्य कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कई पात्र लोगों की समग्र आईडी का परिवार विभाजन नहीं किया गया, राशन पर्चियां नहीं बन रही हैं और विधवा पेंशन सहित कई योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। गांव में पेयजल, नाली और कूड़ा निस्तारण जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्रामसभा नियमित रूप से आयोजित नहीं होती और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिविर भी नहीं लगाए जाते। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक का स्थानांतरण करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, यह सभी आरोप ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायत पत्र में लगाए गए हैं। मामले की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

राजनैतिक दलों की बैठक में दी जानकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 अगस्त। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गत दिवस नगरीय निकाय और पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मधुवंतराव धुर्वे की अध्यक्षता में सोमवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के बाद मतदाताओं की आवश्यक जानकारी प्रदान करने सहित अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची का सेट भी प्रदाय किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि गत 27 जुलाई को प्रकाशित नगरीय निकायों की अंतिम मतदाता सूची में जिले के 7 नगरीय निकाय अंतर्गत कुल एक लाख 4 हजार 341 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 54 हजार 194 पुरूष मतदाता, 50 हजार 144 महिला मतदाता एवं 3 अन्य मतदाता हैं।

पंचायत की प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 6 लाख 43 हजार 32 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 3 लाख 43 हजार 856 पुरूष मतदाता, 2 लाख 99 हजार 173 महिला मतदाता व 3 अन्य मतदाता शामिल हैं। नगरीय निकाय अंतर्गत कुल 167 मतदान केन्द्र, जबकि पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्रों की संख्या 1197 है। बैठक में एडवोकेट राजेश कुमार गुप्ता सहित एडवोकेट आशीष कुमार तिवारी, अंजली यादव एवं कदीर खान भी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में आए 27 आवेदन

पन्ना, 04 अगस्त। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को संपन्न हुई जनसुनवाई में 27 आम लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण किया गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर निराकृत कीं। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज जनसुनवाई हुई। कलेक्टर ऊषा परमार द्वारा भी कलेक्टर कक्ष में आमजनों की समस्याओं को सुनकर प्रभावी निराकरण किया गया।

पटवारी संघ की प्रमुख सचिव से हुई सकारात्मक चर्चा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 अगस्त। प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के नेतृत्व में प्रदेश के राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव (राजस्व), उप सचिव (राजस्व) एवं प्रभारी सीएलआर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बीएमएस के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में बीएमएस प्रदेश मंत्री शिवपाल जी, प्रांतीय पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अश्विन सैनी, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष विमल यादव, भोपाल जिलाध्यक्ष अरविंद गिरि, सहित कई पटवारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पटवारियों से जुड़ी प्रमुख मांगों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कैडर रिव्यू के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से चर्चा के उपरांत इस पर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। समयमान वेतनमान के विषय में उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभागीय स्तर पर इसका परीक्षण चल रहा है और शीघ्र ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर पदोन्नति की चर्चा के दौरान अधिकारियों द्वारा तीन पद अतिशेष बताए जाने पर संघ प्रतिनिधियों ने ध्यान आकर्षित कराया कि विधानसभा प्रश्न एवं राजस्व विभाग के अपने प्रतिवेदन में रिक्त पदों की संख्या एक हजार से अधिक दर्ज है। इस पर प्रमुख सचिव ने रिक्त पदों की वस्तुस्थिति की त्वरित जानकारी मंगाकर पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पटवारी से नायब तहसीलदार पद हेतु ली जाने वाली विभागीय परीक्षा की फाइल सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे जाने और जल्द परीक्षा आयोजित कराने की बात कही गई। राजस्व मंत्री ने संघ की सभी मांगों के शीघ्र एवं संतोषजनक निराकरण का पूरा भरोसा दिया है। वहीं प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि उनका संगठन किसी भी हड़ताल में शामिल नहीं है और वे वार्ता के माध्यम से समाधान के पक्षधर हैं।

पूर्व में आवंटित दुकानों से पेक्स समिति अजयगढ़ को हो रहा लाखों का नुकसान

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 अगस्त। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना के अंतर्गत अजयगढ़ ब्रांच में पेक्स सोसायटी अजयगढ़ में विगत 25 वर्ष पूर्व आवंटित समिति की दुकानों में जो फर्जी तरीके से एग्रीमेंट किया गया था उसका लाभ संबंधित दुकानों के संचालक अभी भी उठाते जा रहे हैं जिससे समिति अजयगढ़ को भारी नुकसान है।

अजयगढ़ बस स्टैण्ड के पास समिति की 8 दुकानें जिनका किराया वर्तमान समय पर 700 रूपये प्रति दुकान है तथा एग्रीमेंट में प्रति दुकान की दर से 50 हजार रूपये पगड़ी निर्धारित की गई थी लेकिन समिति में पगड़ी की उक्त राशि कहीं भी जमा नहीं है। अजयगढ़ के लोगों का कहना है कि वर्तमान समय पर समिति की उक्त दुकानों में प्रति दुकान 08 से 10 हजार रूपये प्रति महीने किराया हो सकता है तथा नये व्यक्तियों को आवंटित की जाये तो 10 लाख रूपये के लगभग प्रति दुकान की दर से पगड़ी जमा हो सकती है। समिति अजयगढ़ का 25 सालों से फाइलों में दबा उक्त घोटाला जल्द बेनकाब हो सकता है तथा सहकारी समिति में उक्त दुकानों के नाम पर समिति कर्मचारियों की मिली भगत से करोड़ों रूपये की जो हेरा फेरी की गई है शासकीय राशि का लगातार गबन चल रहा है फिर भी जिम्मेदार अफसर मौन हैं यह फर्जीवाड़ा जल्द ही लोगों के सामने आयेगा क्योंकि उक्त सभी 08 दुकानों की जांच जिला सहायक पंजीयक कार्यालय पन्ना से चल रही है जिसका प्रतिवेदन भी आ चुका है। वर्तमान ए.आर.सी.एस. द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। दुकानों के आवंटन के दस्तावेजों एग्रीमेंट का यदि परीक्षण किया जाय तो विभिन्न प्रकार की भारी अनियमिततायें की गई हैं। उक्त अनुबंध में कई प्रकार की त्रुटियां हैं जिसका लाभ आवंटित दुकानों के दुकानदार आज भी उठा रहे हैं। लेकिन जिला सहायक पंजीयक कार्यालय द्वारा जांच के उपरांत शीघ्र ही संबंधित दुकानों का नये तरीके से आवंटन एवं एग्रीमेंट किया जायेगा यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

दुकानों के एग्रीमेंट में क्या हैं खामियां-जानकारी के अनुसार उक्त दुकानों का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अनुबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं जबकि अध्यक्ष को सिर्फप्रस्ताव रजिस्टर में हस्ताक्षर करने चाहिए थे उसके पश्चात् बोर्ड के निर्णय अनुसार अनुबंध समिति के समिति प्रबंधक द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए था जो की प्रक्रिया विरूद्ध हुआ है।

इसी प्रकार दुकानों की रूपरेखा के परिवर्तन न किए जाने का एग्रीमेंट बिन्दु क्रं. 04 में वर्णन किया गया है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा परंतु कतिपय दुकानों में इसका उल्लंघन किया गया है। एग्रीमेंट की शर्त क्रं. 05 में किराया रूपये 500 का संस्था को चुकाने पर 20 प्रतिशत अधिभार सहित भुगतान करने का लेख किया गया है परंतु इस शर्त का भी खण्डन किरायेदारों द्वारा कई बार किया गया है। इसी तरह शर्त क्रं. 07 में किरायेदारों को आवंटन 10 वर्ष के पश्चात् नवीनीकरण किया जावेगा जिसमें मनमानी की गई है क्योंकि नवीनीकरण में किराये की सिक्योरिटी की राशि कितनी रखी जाएगी इसका उल्लेख कहीं नहीं है। पेक्स समिति की आठ दुकानों का मिट्टी मोल आवंटन तत्कालीन संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कर दिया गया था आज की तारीख में प्रत्येक दुकान 10-10 लाख की प्रतिभूति एवं 10 से 15 हजार रूपये प्रति माह किरायेदारी की पात्रता रखती है परंतु अनदेखी के कारण संस्था को प्रतिवर्ष लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है।

वर्तमान समय पर संस्था के समिति प्रबंधक शिवांकित बघेल एवं प्रशासक अमोल सिंह द्वारा इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

इनका कहना है

अजयगढ़ समिति द्वारा पूर्व में आवंटित की गई दुकानों के एग्रीमेंट में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं जिसकी जांच चल रही है जांच अंतिम चरण में है शीघ्र ही नये सिरे से दुकानों का आवंटन एवं एग्रीमेंट किया जायेगा।

सौरभ कोठिया, सहायक आयुक्त सहकारिता जिला पन्ना

दो माह से अपूर्ण नाली निर्माण की गांव वालों ने की मांग

नवभारत न्यूज

सलेहा, 04 अगस्त। ग्राम पंचायत सलेहा के वार्ड क्रमांक 5 स्थित सोनी मोहल्ला में लगभग दो माह पूर्व शुरू किया गया नाली निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा हुआ है।

अपूर्ण निर्माण के कारण मोहल्ले के लोगों को दिन और रात दोनों समय आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अधूरी नाली और खुदाई के कारण राहगीरों के गिरने का खतरा बना रहता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जिससे लोगों को घरों से निकलने में कठिनाई हो रही है। मोहल्लेवासियों ने ग्राम पंचायत से मांग की है कि अधूरे पड़े नाली निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि आमजन को हो रही परेशानी से राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है।

हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ेगा वंदे मातरम के 150 वर्ष का उत्सव

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 अगस्त। मध्यप्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक संपूर्ण जन सहभागिता से चलाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को तत्संबंधी निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर्स से कहा गया है कि इस अभियान में जनसामान्य को विगत वर्षों की तरह उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वाधीनता दिवस मनाने एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करें। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत शासकीय कार्यक्रम व चर्चाएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। प्रदेश में यह जन आंदोलन पूरी जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा।

सभी जिलों में तिरंगा से प्रेरित कला, तिरंगा प्रदर्शनी का प्रदर्शन, तिरंगा रंगोली, तिरंगा बुनाई, तिरंगा पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगे के लिए स्वयं सेवा, तिरंगा सजावट और प्रकाश व्यवस्था तथा सैन्य बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों को पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम तथा तिरंगा संगीत कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इंडक्शन प्रशिक्षण आयोजित, 40 कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 अगस्त। जिला मुख्यालय पन्ना में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आठ दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह प्रशिक्षण गत 27 जुलाई से समुदाय प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना पन्ना में आयोजित किया गया।

इसमें अजयगढ़, गुनौर, पन्ना ग्रामीण, पन्ना शहरी, पवई एवं शाहनगर परियोजना से चयनित 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं, जिससे दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने प्रशिक्षण में सहभागी समस्त कार्यकर्ताओं को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए बधाई दी एवं भविष्य में इसी प्रकार समर्पण एवं निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली, भारत एवं मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पर्यवेक्षक की भूमिका एवं कार्य व दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, संचार, प्रभावी सम्प्रेषण एवं परामर्श कौशल, आंगनबाड़ी केन्द्र के अभिलेखों एवं रजिस्टरों के संधारण, महिला एवं बाल संबंधी संवैधानिक प्रावधानों तथा पॉक्सो एक्ट पर भी सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षण में कुपोषण की रोकथाम, पोषण सेवाओं, विटामिन ए एवं आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्प्रभावों, एनीमिया प्रबंधन तथा साप्ताहिक आयरन-फोलिक एसिड कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

साथ ही मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन योजना एवं सखी निवास योजना सहित विभाग की प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी गई। प्रशिक्षण में वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 की कार्यप्रणाली, संपर्क ऐप एवं पोषण ट्रैकर के प्रायोगिक संचालन, ग्राम स्तर पर सर्वे एवं सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया तथा नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था की बीमारियों के समेकित प्रबंधन पर भी व्यवहारिक सत्र आयोजित किए गए, जिससे कार्यकर्ताओं का क्षेत्रीय कार्यकौशल सुदृढ़ हो सके। छह कार्य दिवसों तक चले इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर के मास्टर ट्रेनरों द्वारा व्याख्यान, समूह चर्चा, केस स्टडी विश्लेषण एवं प्रायोगिक सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन किया गया। समापन समारोह में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली समस्त 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों, मास्टर ट्रेनरों एवं आयोजन से जुड़े समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा आशा व्यक्त की कि यह प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य निष्पादन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा।